1411 755000

Affidavit

**Indian-Non Judicial Stamp**
**Haryana Government**

Date : 06/01/2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificate No. | B0F2020A87 | Stamp Duty Paid : | ₹ 101 |
| GRN No. | 61510176 | Penalty : | ₹ 0 |

Deponent

Name : Smt manohari devi Education Trust
H.No/Floor : 00 Sector/Ward : 00 Landmark : 00
City/Village : Bhiwani District : Bhiwani State : Haryana
Phone : 98******82

Purpose : E STAMP PAPER FOR TRUST DEED PURPOSEto be submitted at 00

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

13079

# चैरिटेबल न्यास–पत्र/ चैरिटेबल ट्रस्ट डीड

स्टाम्प 100/– रूपये

हम 1– पवन कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द, उम्र करीब 48 साल, निवासी मकान न0 211, शिव नगर कॉलोनी, भिवानी, तहसील व जिला भिवानी, 2– श्रीमति सीमा गोयल उम्र करीब 50 साल, धर्मपत्नी श्री संजय गोयल, निवासी मकान न0 216, शिव नगर कॉलोनी, भिवानी, तहसील व जिला भिवानी, के स्थायी निवासी हैं। अतः हम तन

मन की स्वस्थ अवस्था में बिना किसी दबाव धमकाव के अपने स्वस्थ चित व स्वच्छ बुद्धि से अपनी राजी व खुशी से अपने ग्यारह–ग्यारह सौ रूपये, कुल 2200/– रूपये (दो हजार दो सौ रूपयें) की राशि से इस ट्रस्ट की बिना किसी जाति, लिंग, नस्ल, धर्म के भेदभाव के जन कल्याण के लिए स्थापना करते हैं। आज से इस राशि 2200/– रूपये (दो हजार दो सौ रूपये केवल) का स्वामी यह ट्रस्ट हो गया है और रहेगा और मन मिकर का इस धन राशि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा अन्य धन सम्पति जो भी इस ट्रस्ट को भविष्य में प्राप्त होगी उसका प्रबन्ध एवं सुचारू रूप से प्रयोग ट्रस्ट के उददेश्यों की प्राप्ति के लिए ट्रस्टीगण करेंगे। इस प्रकार हम ट्रस्ट निर्माता इस ट्रस्ट का निर्माण और स्थापना पूर्ण रूप से निम्नलिखित विवरण अनुसार करते हैं :– .

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Pawan Kumar Pawan Kumar Seema Goyal

Little Hearts International School
President

1– ट्रस्ट का नाम :

इस ट्रस्ट का नाम "श्रीमति मनोहरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट" होगा।

2– प्रमुख कार्यालय :–

इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय हालुवास गेट, नजदीक चौ0 बन्सीलाल पार्क, सरकुलर रोड, भिवानी, तहसील व जिला भिवानी हरियाणा प्रदेश होगा या अन्य स्थान पर भी हो सकेगा जहाँ पर ट्रस्टीगण स्वयं और सुविधा अनुसार चाहेंगे तथा जरूरत अनुसार इस ट्रस्ट की अन्य शाखाएँ भी स्थापित की जा सकेंगी।

3– ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष में रहेगा।

4– ट्रस्ट का कोष

इस समय इस ट्रस्ट के कोष में हम अपने–अपने 1100/– रूपये देते हैं और इसके अतिरिक्त भविष्य में जो भी वृद्धि होगी वह सब ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जाएगी। इसके अतिरिक्त जो राशि ट्रस्ट के कोष हेतु प्राप्त होगी वह ट्रस्ट के कोष में वृद्धि करेगी।

5– ट्रस्ट के उद्देश्य :–

ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य व प्रयोजन होंगे –

(1) बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के व हर मानव, जाति व युवा, बच्चों व महिलाओं को समृद्ध, शिक्षावान, प्रोद्योगिकवान, वैद्य, डाक्टर, खिलाडी, संस्कारवान, स्वावलम्बी बनाने के लिए शिक्षा केंद्र संचालित करना। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मैडिकल विद्यालय, प्रोद्योगिक विद्यालय, छात्रावास, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि का निर्माण करना, सुचालन करना व चलती हुई संस्था को अपने अधिपत्य में लेना।

(2) जन कल्याण के लिए सभी काम बिना किसी जाति, लिंग, धर्म, नस्ल के भेदभाव से करना। मानव जाति के नैतिक आध्यात्मिक, शैक्षिक, चारित्रिक, वैचारिक और सामाजिक उत्थान और विकास के लिए कार्य करना। कोई धर्मशाला, उपासना केन्द्र, योगा केन्द्र, शान्ति केन्द्र, आराम घर, शान्ति विराम भवन, वृद्ध आश्रम, बाल विकास आश्रम, बेसहारा का सहारा केन्द्र, विधवा व नारी उत्थान केन्द्र व छात्रावास आदि का निर्माण करना, संचालन करना आदि।

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

(3) शिक्षा, संस्कार व मौलिक मूल्यों के प्रसार एवं प्रचार हेतु सेमीनार एवं गोष्ठी आदि का आयोजन करना तथा वाचनालय एवं पुस्तकालय स्थापित करना एवं उनका संचालन करना। समय–2 पर राष्ट्रीय त्योहारों व राष्ट्रीय दिवसों को पर्व के रूप में मनाना व आने वाली पीढीयों को त्योहारों की विशेषताएं, आधार व पर्व बनाने के तरीकों, विधियों के बारे में जानकारी देना, उनको महत्व बताते हुए मिलजुल कर पर्व को मनाना, भण्डारा करना, प्रसाद वितरित करना व अन्न आदि का समय–2 पर व नियमित रूप से आयोजन करना।

(4) समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए स्कूल, कालेज, छात्राावास, स्टेडियम, धर्मशाला, अस्पताल, मन्दिर, योगाश्रम या अन्य इसी प्रकार की अन्य संस्था आदि की स्थापना व भवन निर्माण करना, प्रबन्ध करना या ऐसी संस्थाओं को चलाने में सहायता प्रदान करना।

5 समाज व राष्ट्र में गिरते हुए मुल्यों के उत्थान, सामाजिक चेतना, व संस्कार वर्धन हेतु प्रयास करना व हर वर्ग के व्यक्तियों को उनके दायित्वों के प्रति सचेत व जागरूक करने व परस्पर प्रेम, सद भावना, राष्ट्रीय प्रेम, हर धर्म प्रेम व आदर करने के लिए समाज व राष्ट्र में सन्देश देना, गष्ठी करवाना, कवि सम्मेलन, सर्व धर्म सम्मेलन, जागरण आदि का आयोजन करना, संचालन करना व उत्सव मनाना।

(6) सामाजिक बुराईयों जैसे – दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, नशामुक्ति, संगीत व फिल्मों में अश्लीलता दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करना।

(7) रक्तदान, नेत्राजाँच निशुल्क चिकित्सा, दिव्यांग सहायता शिविर लगवाना।

(8) पर्यावरण को शुद्घ रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाना व हवन करके वातावरण को शुदघ करना। पृथ्वी पर रह रहे हर जीव–जन्तु, पशु–पक्षी विशेषकर गौवंश के कल्याण, सुरक्षा, देखभाल आदि के लिए संरक्षण भवन, शैड आदि का निर्माण करना, उनके खाने पीने, औषधी आदि का प्रबन्ध करना व उनके लिए पशु पक्षी चिकित्सालय आदि का निर्माण करना व संचालन करना।

(9) भारतीय नागरिकों के चारित्रिक व समाज उत्थान सम्बन्धी प्रेरक पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। उसकी व्यवस्था करना अथवा संग्रहालय बनाना।

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

(10) किसी सकरारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी संस्था से अनुदान लेकर अथवा आर्थिक सहायता लेकर जरूरतमन्द, बेरोजगार, आर्थिक रूप से पिछड़े युवक, युवतियों एवं व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना, मदद आदि करना।

(11) कोई राष्ट्र अथवा प्राकृतिक व आकस्मिक विपदा आने पर समाज सेवा के कार्य करना जो समयानुसार आवश्यक हो तथा आवश्यक होने पर ऐसे कार्य करना जिनका विवरण उपर ना आया होवे लेकिन वे कार्य मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोगी और लाभदायक होवे और ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह सभी कार्य जो आवश्यक हों तथा ट्रस्ट के हक में हों।

(12) ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धन व दान प्राप्त करना जो कि किसी चल या अचल सम्पति या नकद धन राशि के रूप में होंवे व उसकी रसीद जारी करना। आवश्यकता अनुसार अचल सम्पतियों व भवनों का निर्माण करवाना और चल और अचल सम्पतियां क्रय करना, किराए व लीज आदि पर लेना, शेयरज, डिबैन्चर्ज व अन्य प्रतिभूतियों में ट्रस्ट के फण्ड का जनहित के लिए नियोजन करना तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होने पर ट्रस्ट के हितों को मध्य नजर रखते हुए किसी भी चल व अचल सम्पति का हस्तान्तरण करना, बेचना, पट्टे आदि पर देना व लेना। ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बैंक से, सरकार से या किसी वित्तीय संस्था या व्यक्ति से कोई ऋण लेना या आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

(13) उपरोक्त उद्देश्यों/कार्यो हेतु सहायता, चन्दा, अनुदान, ऋण इत्यादि सरकार, बोर्ड या किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, वित्तीय संस्थान या बैंक इत्यादि से प्राप्त करना।

अन्य ऐसे कार्य जिनका वर्णन ऊपर नहीं आया, परन्तु जो शिक्षा, समाज, कला– संस्कृति व जन कल्याणार्थ के लिए ट्रस्टीगण उचित समझें, कर सकते हैं।

6– ट्रस्टीगण/ट्रस्टीमण्डल के अधिकार और कर्तव्य :–

(1) ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा नियमों का पालन करना।

(2) ट्रस्ट की चल और अचल सम्पति हर प्रकार का हर तरह से अपने अधीन लेना, प्रबन्ध, देखभाल करना, संभालना और उसको हर तरह के नुकसान से बचाना और ट्रस्ट की आय व्यय का हिसाब किताब रखना। कोई भवन, भूमि, चारदिवारी, खेतीबाड़ी की भूमि या प्लाट

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Pawan Kumar    Seema Goyal    Pawan Kumar

Little Hearts International School
President    Sec

आदि खरीद करना, रहन रखना, हिस्सा लेना, तबादला करना या किसी अन्य प्रकार से खरीदना, बेचना, पट्टे किराए आदि पर देना, लेना या मुन्तकील करना।

इसके लिए जो भी जरूरी दस्तावेज तहरीर तकमील और रजिस्ट्री करवाना होवे यह तमाम कराने का अधिकार होगा तथा ट्रस्ट की तमाम अचल सम्पति का प्रबन्ध करना, मुरम्मत कराना और निर्माण कराना और हर तरह से संरक्षण करना।

(3) ट्रस्ट के धन को भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन किसी बैंक में या डाकखाना में व आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य बैंक व प्रतिभूति आदि जमा करना या वापिस लेना।

(4) ट्रस्ट की उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, संस्था या समिति से कोई रूपया या अन्य कोई जायदाद या वस्तु दान में लेना या दान देना। उसका बाकायदा हिसाब किताब रखना।

(5) ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट या ट्रस्टीगण के खिलाफ किये गए सभी मुकदमात कार्यवाही, फौजदारी, दिवानी, रेवेन्यू माल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत आदि या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करना तथा ट्रस्ट की ओर से कोई दावा, कार्यवाही, इस्तगासा आदि दायर करना और उन पर अपने हस्ताक्षर करना व तसदीक करना और उनकी हर तरह से पैरवी व जवाबदेही करना। कोई लेन देन किसी किस्म का करना। हिसाब किताब करके रूपया लेना, देना या छोड़ देना। सरकारी या गैर सरकारी, हर प्रकार के महकमा व संस्थाजात से कोई भी कार्य एवं कार्यवाही करना जो कि ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए करना जरूरी होवे।

(6) ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए ट्रस्टीगण में से कार्यकारिणी समिति का साधारण बहुमत से चयन करना व कार्यकारिणी में कम से कम तीन पदों पर ट्रस्टीगण का चयन करना। कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष होना आवश्यक होगा। अगर दो ट्रस्टीगण के होने पर एक प्रधान व दूसरा महासचिव होगा व कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दोनों में से किसी एक को दी जा सकेगी। कार्यकारिणी ट्रस्टी मण्डल को रिपरजेन्ट करेगी व उस द्वारा सौंपे गये सभी कार्य करेगी।

(7) ट्रस्ट के कार्यभार को चलाने के लिए तथा उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा ट्रस्ट की जायदाद व कार्यों की देखभाल के लिए कोई कर्मचारी, मैनेजर, सेवादार आदि नियुक्त करना या हटाना या कोई दिया हुआ अधिकार वापिस लेना। किसी मैनेजिंग कमेटी, समिति या उप समिति आदि का गठन करना या ऐसी किसी कमेटी या समिति को ओर व्यक्ति या

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

व्यक्तियों को अधिकार व जिम्मेवारी देना अथवा दिए हुए अधिकार या जिम्मेवारी को वापिस लेना या उनको जरूरत अनुसार और अधिकार प्रदान करना और उनके स्थान पर अन्य कमेटी बनाकर और अन्य व्यक्ति नियुक्त करके ऐसे अधिकार देना। बिना कारण बताए किसी गठिन समिति या उप समिति को भंग करना या उसके सदस्यों की संख्या में कमी बेशी करना। किसी सदस्य को हटाना या अपदस्थ करना। किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य बनाना। ऐसी कमेटी, समिति अथवा उपसमिति को सदस्य व पदाधिकारी बनने के लिए ट्रस्ट का ट्रस्टी होना आवश्यक नहीं होगा।

(8) ट्रस्ट की अचल सम्पति को किसी को किराया, पट्टा, लीज व काश्त आदि पर किरायेदारान, मुजारान, पट्टेदारान आदि को देना और उनसे रकम किराया, पट्टा आदि वसूल करना और रसीद प्रदान करना। किरायेदारान व मुजारान आदि से जायदाद को खाली करवाना और उसका दखल व कब्जा हासिल करना तथा इसके लिए तमाम व जरूरी कार्यवाही करना और उसकी पैरवी व जवाबदेही करना। कोई रकम किराया पट्टा या रकम लगान आदि की वसूली के लिए भी जरूरी कार्य मुकदमा एवं कार्यवाही करना।

(9) ट्रस्ट के हिसाब किताब को आवश्यकतानुसार वार्षिक या समयानुसार व आवश्यकतानुसार ऑडिट करवाना व उस कार्य के लिए किसी ऑडिटर को नियुक्त करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तथा अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए तथा कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक धन खर्च करना।

(10) ट्रस्ट की किसी चल या अचल सम्पति को किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या समिति जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते जुलते हों को देना या किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था या समिति से कोई चल या अचल सम्पति प्राप्त करना

(11) हर प्रकार के कर, कर्मचारियों के वेतन और अन्य ट्रस्ट सम्बन्धित एवं आवश्यक कार्यो के लिए धन खर्च करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी जमानत सहित या जमानत रहित ऋण लेना और इसकी अदायगी करना।

(12) वे अन्य सभी कार्य एवं कार्यवाही जो कि आवश्यकता एवं व्यवहार के अनुसार ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करने जरूरी होंवे व जिस कार्य को ट्रस्टीगण ट्रस्ट के हक के लिए ठीक समझें। सभी कार्य व कार्यवाही करने का ट्रस्टीगण को अधिकार हासिल होगा।

7– ट्रस्टीगण / बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :–

कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो व किसी ट्रस्टी द्वारा प्रस्तावित किया गया हो, ट्रस्ट के उद्देश्य में विश्वास रखता हो, ट्रस्ट के नियमों व अधिनियमों की पालना करने

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

में कोई कोताई ना बरते व ट्रस्ट की आम सभा में उसकी सदस्यता को स्वीकार कर लिया हो तो वह ट्रस्ट का सदस्य बन सकेगा। ट्रस्ट निर्माताओं के अतिरिक्त श्रीमति सुनीता देवी उम्र करीब 54 साल, पत्नी सत्यनारायण गोयल, निवासी मकान न0 240, शिव नगर कॉलोनी, भिवानी, श्री रमेश कुमार उम्र करीब 63 साल, पुत्र श्री घनश्याम दास, निवासी मोडान गली, हालु बाजार, भिवानी, व श्रीमति उषा बंसल उम्र करीब 67 साल, पत्नी श्री चुन्नी लाल बंसल, निवासी 219 शिव नगर कॉलोनी, भिवानी, इस ट्रस्ट के तीन वर्ष तक ट्रस्टी मनोनीत किये गये हैं।

(ड़) ट्रस्ट का निम्नलिखित कारणों से स्थान रिक्त समझा जायेगा।

(1) ट्रस्टी की मृत्यु होने से।

(2) ट्रस्टी के द्वारा दिए गए त्याग पत्रा की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा स्वीकृत होने पर।

(3) अदालत द्वारा दिवालिया या पागल करार दिए जाने से

(4) अदालत द्वारा दोषी करार दिये जाने या किसी नैतिक अपराध में सजा पाने या अपराधी घोषित होने से।

(5) किसी ट्रस्टी का पद रिक्त होने पर उस पद की पूर्ति बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दो तिहाई बहुमत से कर सकेंगे।

8– कार्यकारिणी समिति :–

(क) ट्रस्ट के ट्रस्टीगण अपनी पहली बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव/साधारण बहुमत से करेंगे। जिनका कार्यकाल अधिक से अधिक 3 साल के लिए होगा परन्तु वे फिर भी इस पद पर पुनः चुने जा सकते हैं। ट्रस्टीगण अगर बहुमत से चाहें तो अन्य पद बना कर उन पर पदाधिकारी नियुक्त/चयन कर सकते हैं। ट्रस्टीगण की संख्या कम होने पर एक ट्रस्टी को दो या इससे अधिक पद भी दिए जा सकेंगे। परन्तु ट्रस्ट का प्रधान व महासचिव एक ही ट्रस्टी नहीं हो सकेगा तथा ट्रस्टीगण की संख्या पर्याप्त होने पर दो पद एक व्यक्ति को नहीं दिए जायेंगे। ट्रस्टी मण्डल कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारियों के अधिकार व दायित्व क्षेत्र व अन्य दिशा निर्देश अपनी सभा में समयानुसार व आवश्यकतानुसार निर्धारित करता रहेगा। जिनको पालन करना पदाधिकारी के लिए आवश्यक होगा।

(ख) प्रबन्धक समिति – ट्रस्ट की किसी संस्था प्रकल्प या किसी उद्देश्य को चलाने, संचालन करने आदि के लिए ट्रस्ट मैनेजिंग कमेटी का गठन कर सकेगी व आवश्यकतानुसार उसका प्रारूप, नियम, उद्देश्य आदि निर्धारित करेगी व उद्देश्य आदि को पूरा करने व संचालन

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

आदि करने के लिए अधिकार व दायित्व सौंपेगी। मैनेजिंग कमेटी का सदस्य/पदाधिकारी बनने के लिए उसका ट्रस्टी होना आवश्यक नहीं होगा। हर प्रबन्धन समिति व मैनेजिंग कमेटी में ट्रस्ट का प्रधान व महासचिव पदेयन सदस्य होंगे। जिसके लिए ट्रस्टीगण आवश्यकतानुसार सदस्य व संरक्षक बना सकेंगे और इसका कार्यकाल व कार्यक्षेत्र, अधिकार व दायित्व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जरूरत अनुसार बहुमत से निर्धारित करेगा। ट्रस्टीगण किसी भी समय इस कमेटी व उप समिति सालिम को या इसके किसी या किन्हीं सदस्यों को सदस्यता से मुक्त कर सकेंगे और भंग कर सकेंगे और उनके स्थान पर अगर आवश्यकता हो तो दूसरा नियुक्त कर सकेंगे। ट्रस्टीगण को यह भी अधिकार होगा कि वह प्रबन्धक कमेटी अथवा संचालन कमेटी समस्त को या उसके किसी सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के या कोई कारण दिए समिति कों भंग कर सकता है या निलम्बित कर सकेगा और सदस्य या सदस्यों अथवा पदाधिकारी को अपदस्थ एवं कार्यमुक्त या निलम्बित कर सकेगा।

(ग) यदि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपने बहुमत से प्रबन्धक समिति या अन्य समिति को अधिकार प्रदान करे तो वह ट्रस्ट के लिए दान, धन एवं अन्य सम्पति व वस्तुएँ एकत्रा एवं प्राप्त कर सकती है एवं आवश्यकतानुसार व्यय भी कर सकती है।

(घ) प्रबन्धक कमेटी व संस्था संचालन कमेटी व कमेटियों के सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ट्रस्ट का ट्रस्टी ही हो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में विश्वास रखता हो तथा उसका निस्वार्थ समाज सेवा का भाव हो उसे प्रबन्धक कमेटी व अन्य कमेटियों का सदस्य बनाया जा सकेगा।

(ण) संरक्षकः– ट्रस्टीमण्डल के निर्णय से ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा तीन संरक्षक मनोनीत किये जा सकेंगे जिनमें एक को मुख्य संरक्षक बनाया जावेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि वह संरक्षक ट्रस्ट के ट्रस्टी या सदस्य हों। इनका कार्यकाल, कार्यक्षेत्र, अधिकार व कर्तव्य उनको मनोनीत करते समय निर्धारित कर दिये जावेंगे। संरक्षणगण को सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

9– ट्रस्ट की बैठक :–

ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी और उसका निर्णय बहुमत से होगा। ट्रस्ट की हर बैठक का प्रधान ट्रस्ट का प्रधान होगा और प्रधान की गैर हाजिरी में उप–प्रधान, प्रधान के कर्तव्य पूरे करेगा।

10– ट्रस्ट का निर्माता :–

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

श्री पवन कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चन्द व श्रीमति सीमा गोयल पत्नी श्री संजय गोयल इस ट्रस्ट के निर्माता माने जावेंगे। अगर ट्रस्ट में किसी तरह का मतभेद हो जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे ट्रस्ट का भविष्य अंधकारमय हो या ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा होने में मुश्किल आ रही हो तो उस स्थिति में ट्रस्ट के निर्मातागण श्री पवन कुमार व श्रीमति सीमा गोयल का निर्णय अन्तिम होगा व सभी ट्रस्टीगण को मान्य होगा।

11– ट्रस्ट का हिसाब–किताब :–

(क) ट्रस्ट की सम्पति तथा उसके आय व्यय का हिसाब किताब कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा जिसका वर्ष के अन्त में नियमानुसार आवश्यक होने पर निरीक्षण व आडिट कराया जायेगा।

(ख) ट्रस्ट का रूपया किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, डाकखाना व रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा स्वीकृत बैंक में रखा जायेगा और यदि ट्रस्टीगण चाहे तो किसी गर्वनमेन्ट सिक्योरिटी में भी रकम जमा करवा सकेंगे तथा आयकर अधिनियम 1961 द्वारा अपरूवड अन्य बैंक खातों व अन्य प्रतिभूतियों में ही ट्रस्ट का धन रखा जा सकेगा।

12– कोरम :–

ट्रस्टीगण की बैठक व कार्यवाही के लिए तथा ट्रस्ट की कार्यकारिणी कमेटी, प्रबन्धक कमेटी, संस्था संचालन कमेटी व अन्य कमेटियों आदि के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख का 1/3 होगा परन्तु कोरम पूरा न होने पर दोबारा बुलाई गई मीटिंग में उपस्थित सदस्यों से ही कोरम पूर्ण समझा जाएगा तथा उपरोक्त दो सभाओं का अन्तराल चौदह (14) दिन से कम नहीं हो सकेगा। ऐसे स्थगित मीटिंग में कोई नया एजेण्डा नहीं लिया जा सकेगा। किसी भी अवस्था में दो सदस्यों से कम का कोरम नहीं माना जाएगा।

13– प्रधान के अधिकार और कर्तव्य :–

(1) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूति के लिए निश्चित नीति निर्धारित करना, कार्य का वितरण करना और कार्यो का संचालन करना व निरीक्षण करना।

(2) 10000/– रूपये तक खर्च कर सकता है।

(3) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या कार्यकारिणी की बैठक बुलाना और उनकी प्रधानता करना तथा जरूरत अनुसार विशेष अधिवेशन बुलाना या होते हुए को स्थगित करना।

(4) प्रत्येक सदस्य को प्रधान की आज्ञा से बोलना होगा। यदि कोई सदस्य प्रधान की आज्ञा ना मानेगा तो प्रधान को पूरा अधिकार होगा कि उसे सभा की उस मीटिंग से निष्कासन का आदेश दें। इस आदेश का पालन उस सदस्य के लिए आवश्यक होगा। बिना प्रधान की

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Pawan Kumar

Seema Goyal

Little Hearts International School
Pawan Kumar
President

स्वीकृति के बोले गये वाक्य और रखे गए प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जायेंगे।

14– उप–प्रधान के अधिकार और कर्तव्य :–

(1) प्रधान के कार्यो में सहायता करना तथा प्रधान की अनुपस्थिति में उनके समस्त कर्तव्यों का पालन करना तथा सभा की अध्यक्षता करना।

15– महासचिव के अधिकार और कर्तव्य : –

(1) ट्रस्ट के निश्चित कार्यक्रम की पूर्ति के लिए प्रबन्ध करना।

(2) ट्रस्ट की निर्धारित नीति व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना व कार्यों को कार्यान्वित करवाना और ट्रस्ट के कार्यों का निरीक्षण करना।

(3) ट्रस्ट की समस्त बैठकों की कार्यवाही लिखाना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। तमाम जरूरी पत्रा व्यवहार करना। वार्षिक रिपोर्ट जो कोषाध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षक से परीक्षित ऑडिट करवा लेने के बाद कोषाध्यक्ष से प्राप्त करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना।

(4) स्वीकृत धन को कार्य विशेष पर व्यय करना। लेन देन के कागजात पर हस्ताक्षर करना, व्यय आदि के बिल पास करना और कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत सभी कार्य करना।

(5) महासचिव को एक बार में 5000/– रूपये खर्च करने का अधिकार होगा।

16– सचिव के अधिकार और कर्तव्य :–

महासचिव के कार्यों में सहायता देना तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना तथा कर्तव्यों का पालन करना।

17– कोषाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य : –

(1) प्रधान या महासचिव/सचिव द्वारा पास किए गए बिलों का भुगतान करना।

(2) ट्रस्ट के धन को सुनियोजितढंग से सुरक्षित रखना तथा कार्यकारिणी की पूर्व स्वीकृति के अनुसार व्यय करना।

(3) वार्षिक हिसाब को समुचित रूप से संकलित करना तथा उसे आवश्यकतानुसार एवं कानुन अनुसार चार्टेड अकाउटेन्ट से ऑडिट कराकर ट्रस्ट के वार्षिक आय व्यय ब्योरे में प्रकाशित करना।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सम्मुख आय व्यय का विवरण सुनाना।

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Pawan Kumar

Seema Goyal

Little Hearts International School
Pawan Kumar
President

(5) सामान्य स्थिति में 10000/- रूपये नकद राशि तक अपने पास रख सकता है। शेष राशि बैंक में जल्द से जल्द जमा करवाना अनिवार्य होगा।

18- मिश्रित :-

(1) उपरोक्तट्रस्ट को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाये और जो पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नियम हैं वह सारे नियम इस ट्रस्ट पर लागू होंगे। यदि कोई इस ट्रस्ट की धारा या धाराएँ, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत अवैध घोषित हो जाती है तो वह धारा या धाराएँ ऐसी मानी जायेंगी कि वे इस ट्रस्ट में शामिल नहीं की गई थी।

(2) कोई भी ट्रस्टी, ट्रस्ट व किसी भी कमेटी का सदस्य व पदाधिकारी इस न्यास से किसी भी तरह का लाभ, वेतन, फीस, रेमयूनरेशन आदि नहीं ले सकेंगे।

19- संशोधन :-

यदि किसी समय न्यास पत्रा में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या किसी अन्य कानूनी आवश्यकतानुसार ट्रस्ट पत्रा में कोई संशोधन करना अनिवार्य हो जाए या ट्रस्टीगण इस न्यास पत्रा में कोई भी संशोधन करना चाहे तो ट्रस्टीगण ऐसा संशोधन केवल उस विषय में ट्रस्ट मण्डल 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके ही कर सकेंगे।

20- यह कि अगर हमारा ट्रस्ट किसी कारणवश भविष्य में और समय तक चलने के काबिल नहीं रहती या किसी कारणवश इस ट्रस्ट का विघटन हो जाता है या करना पड़ता है तो इस ट्रस्ट की तमाम चल एवं अचल सम्पतियां एवं ट्रस्ट किसी ऐसे ट्रस्ट, संस्था या समिति को जा सकेगी जिसके कि उद्देश्य हमारे ट्रस्ट के उद्देश्यों से मिलते हों व वह ट्रस्ट, संस्था या समिति इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए आश्वासन दे दे। अगर ट्रस्टीज किसी वक्त यह चाहे कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि इस ट्रस्ट का विलय किसी दूसरे ट्रस्ट, संस्था या समिति में कर दिया जाए जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट से मिलते हों तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज 2/3 बहुमत से ऐसा कार्य कर सकेंगे। किसी भी समय एवं किसी भी सूरत में ट्रस्ट की कोई भी सम्पति इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को या चन्दा दान देने वालों के बीच विभाजित नहीं हो सकेगी। ट्रस्ट के ट्रस्टी अथवा कमेटी का सदस्य ट्रस्ट से किसी किस्म का लाभ, वेतन, फीस, रेमुयेनरेशन आदि नहीं ले सकेंगे।

अतः यह ट्रस्टडीड/न्यास पत्रा आज दिनांक 09-01-2020 वार वीरवार ......... को निम्नलिखित साक्षियों के सम्मुख लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Pawan Kumar Seema Goyal

Little Hearts International School
Pawan Kumar
President

प्रलेख मिकर को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जो कि उसकी हिदायत अनुसार तैयार किया गया। जो कि उसने सुनकर व समझकर दुरूस्त तसलीम किया और अपने हस्ताक्षर किए।

गवाह

1– ..............................

2– ..............................

(ट्रस्ट निर्माता/संस्थापक)

For Smt. Manohari Devi Educational Trust
(पवन कुमार) Trustee

For Smt. Manohari Devi Educational Trust
(सीमा गोयल) Trustee

प्रारूप लेखक :–

नमित कटारिया

P/4269/2018

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR BHIWANI

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

| Reg. No. | Reg. Year | Book No. |
|---|---|---|
| 13079 | 2019-2020 | 1 |

न्यासकर्ता न्यासी गवाह

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
संयुक्त सब रजिस्ट्रार
भिवानी

न्यासकर्ता :- पवन कुमार श्रीमति सीमा गोयल

न्यासी :- श्रीमती मनोहरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट

गवाह 1 :- मुकेश कुमार नम्बरदार

गवाह 2 :- अमित

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 13079 आज दिनांक 09-01-2020 को बही नं 1 जिल्द नं 79 के पृष्ठ नं 18.75 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 9764 के पृष्ठ संख्या 16 से 18 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है।

दिनाक 09-01-2020

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी( भिवानी )

संयुक्त सब रजिस्ट्रार
भिवानी

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
President

प्रलेख न:13079

दिनांक:09-01-2020

| डीड सबंधी विवरण | |
|---|---|
| डीड का नाम | TRUST |
| तहसील/सब-तहसील | भिवानी |
| गांव/शहर | भिवानी शहरी क्षेत्र |

**धन सबंधी विवरण**

राशि 2200 रुपये — स्टाम्प ड्यूटी की राशि 100 रुपये

स्टाम्प नं : b0l2020a87 — स्टाम्प की राशि 101 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50 रुपये — EChallan:61700092 — पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये

Drafted By: — Service Charge:200

THE SEAL OF ... BHIWANI

यह प्रलेख आज दिनाक 09-01-2020 दिन गुरुवार समय 4:27:00 PM बजे श्री/श्रीमती /कुमारी पवन कुमार पुत्र त्रिलोक चन्द श्रीमति सीमा गोयल पत्नी संजय गोयल निवास भिवानी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

Pawan kumar Seema Goyal

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

पवन कुमार श्रीमति सीमा गोयल

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी ( भिवानी )

उपरोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती /कुमारी श्रीमती मनोहरी देवी एजुकेशनल ट्रस्ट हाजिर है । प्रतुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों

ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया ।दोनों पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती /कुमारीमुकेश कुमार नम्बरदार पिता — निवासी भिवानी व श्री/श्रीमती /कुमारी अमित पिता ---

निवासी भिवानी ने की ।

साक्षी नं:1 को हम नम्बरदार /अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है ।

Principal
Little Hearts International School
Bhiwani

Little Hearts International School
Pawan kumar
President

उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी( भिवानी )
भिवानी